[1]संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978

(सं0 आ0 110)

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिक्किम राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का नाम संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 है ।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जातियां, वंश या जनजातियां या जातियों, वंशों या जनजातियों के भाग या समूहों को, संविधान के प्रयोजनों के लिए, सिक्किम राज्य के संबंध में, जहां तक उस राज्य में निवासी उसके सदस्यों का संबंध है, अनुसूचित जाति समझा जाएगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू [2][, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।

अनुसूची

1. दमाई (नेपाली)
2. कामी (नेपाली), लोहार (नेपाली)
3. माझी (नेपाली)
4. सरकी (नेपाली) ।

[1] विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 334(अ), तारीख 22 जून, 1978, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1978, भाग 2, खंड 3(i), पृ0 546 में प्रकाशित ।

[2] 1990 के अधिनियम सं0 15 की धारा 7 द्वारा (3-6-1990 से) "या सिक्ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।